भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2091

उत्तर देने की तारीख 18 दिसंबर, 2025

महाराष्ट्र में डाकघरों का आधुनिकीकरण

2091. डा. अजित माधराव गोपछड़े :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में नए डाक घर भवनों के निर्माण और वर्तमान में कार्यरत डाक घर भवनों के नवीनीकरण के लिए आज की तिथि तक की गई पहलों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में डाक विभाग की कितनी भूमि वर्तमान में अतिक्रमण के अधीन है और ऐसे अतिक्रमणों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में डाक घरों के डिजिटल आधुनिकीकरण और अवसंरचना के उन्नयन, जिसमें आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट डाक घरों का विकास भी शामिल है, के लिए उपाय किए हैं अथवा करने का प्रस्ताव है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) नए डाकघर भवनों का निर्माण रिक्त भू-खंडों, प्रचालन आवश्यकताओं और निधियों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2020-21 से महाराष्ट्र (जिला-वार) के संदर्भ में नए डाकघर भवनों के निर्माण का विवरण **अनुबंध I** में दिया गया है और उक्त के संदर्भ में मौजूदा डाकघर भवनों के नवीनीकरण का विवरण **अनुबंध II** में दिया गया है।

(ख) महाराष्ट्र में डाक विभाग की जिस भूमि पर वर्तमान में अतिक्रमण किया गया है और महाराष्ट्र में अतिक्रमण हटाने के लिए उठाए गए कदमों का प्लॉट-वार विवरण **अनुबंध III** में दिया गया है।

(ग) महाराष्ट्र में सभी 61 प्रधान डाकघरों, 2158 उप डाकघरों और 11815 शाखा डाकघरों को डिजिटाइज्ड किया गया है और उन्नत डाक प्रौद्योगिकी (एपीटी) 2.0 के तहत इसे पूरी तरह से रोलआउट किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा डिलीवरी को सुदृढ़ करने, क्नेक्टिविटी और यूजर अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शाखा डाकघरों को इन-हाउस डिजिटल रूरल एंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर मोबाइल (मोबाइल के लिए डिजिटल ग्रामीण उद्यम एप्लीकेशन - ड्रीम) चालित ऐंड्रॉइड स्मार्टफोन भी उपलब्ध कराए गए हैं।

*****

अनुबंध ।

2020-21 से निर्मित किए गए नए डाकघर भवन :

क्र. सं.	वर्ष	निर्माण किए गए नए डाकघर भवन	जिले का नाम
1	2021	हर्णे उप डाकघर	रत्नागिरि
2	2022	एस पी कॉलेज, विजयनगर	पुणे
3	2023	ऐरोली डाकघर	ठाणे
4	2023	मुरगूड	कोल्हापुर
5	2023	गांधीनगर	कोल्हापुर
6	2024	औसा डाकघर	लातूर
7	2024	नायगांव	नांदेड
8	2025	सावंतवाडी एचओ भवन	सिंधुदुर्ग
9	2025	रामनगर डाकघर	लातूर

अनुबंध ।।

2020-21 से नवीनीकृत डाकघर भवन :

क्र. सं.	**वर्ष**	**नवीनीकृत डाकघर भवन**	**जिले का नाम**
1	2020	जेऊर	पंढरपूर
2	2021	दादर एचओ	मुंबई
3	2021	कालबादेवी एचओ	मुंबई
4	2021	मुंबई सेंट्रल एचओ	मुंबई
5	2023	अहिल्यानगर एचओ	अहिल्यानगर
6	2023	सातारा एचओ	सातारा
7	2023	धर्माबाद	नांदेड
8	2024	इचलकरंजी एचओ	कोल्हापुर
9	2024	बुधगाव	सांगली
10	2024	रत्नागिरि एचओ	रत्नागिरि
11	2024	बीड़ एचओ	बीड़
12	2024	उदगीर डाकघर	लातूर
13	2025	बोरीवली एचओ	मुंबई

अनुबध ।।।

क्र. सं.	भू-खंड/प्लॉट का नाम	जिले का नाम	अतिक्रमित की गई भूमि (वर्ग मी./वर्ग फुट, जो भी लागू हो)	इस अतिक्रमण को हटाने के लिए उठाए गए कदम
1	कलमेश्वर, नागपुर एमएफएल डिवीजन	नागपुर	प्लॉट का कुल क्षेत्रफल 3045 वर्ग फुट (विभाग की भूमि 2730 वर्ग फुट + 315 वर्ग फुट पर अतिक्रमण) नगर परिषद, कलमेश्वर ने डाक विभाग की अनुमति के बिना वर्ष 1991 में कॉम्पलेक्स का निर्माण किया।	नगर परिषद, कलमेश्वर के विरुद्ध मुकदमा (विशेष अपील संख्या 135/93) दायर किया गया था, और निचली अदालत ने 30.01.1999 को प्लॉट संख्या 2012 पर स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और 315 वर्ग फुट की त्रिकोणीय पट्टी को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। नगर परिषद ने अपील की और धन-संबंधी अधिकारिता के कारण मामला उच्च न्यायालय से नागपुर जिला न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। 30.06.2008 को प्रस्तुत समझौता प्रस्ताव विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। आरसीए संख्या 224/2012 में, अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर निचली अदालत को वापस भेज दिया गया, जिसने 29.03.2022 को मामले को खारिज कर दिया। एएसजी ने 30.06.2022 को बहाली और विलंब के लिए माफी हेतु केस दायर किया। अंतिम सुनवाई 03.12.2025 को हुई थी, और अब मामला सावनेर न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। अगली सुनवाई 10.02.2026 को है।

2	रालेगांव, यवतमाल डिवीजन	यवतमाल	प्लॉट का कुल क्षेत्रफल 525 वर्ग फुट है। अतिक्रमण कर्ता - श्री बी एम विरानी, रालेगांव हैं। यह प्लॉट दिनांक 1.5.57 से लीज पर दिया गया था। उक्त प्लॉट पर श्री विरानी द्वारा अतिक्रमण किया गया है।	सीनियर डिवीजन के सिविल जज पंधारकवाडा द्वारा बेदखली, कब्जे, हर्जाने और भविष्य के मध्यवर्ती लाभों की जांच के लिए दायर एक दीवानी मुकदमे का फैसला 10.06.2008 को विभाग के पक्ष में दिया गया। वही नागपुर के आरओ द्वारा पत्र संख्या NR/Bldg-I/6-29/22/2002 दिनांक 01.09.2008 के द्वारा 10.09.2008 के बाद निष्पादन कार्यवाही फ़ाइल करने की अनुमति प्रदान की गई थी। इसी बीच, श्री शमशुद्दीन विरानी ने एकतरफा फैसले को रद्द करने के लिए आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया (केस संख्या एमजे-1100018/2008, अब एमसीए 2/2019)। अगली सुनवाई के लिए 22.12.2025 की तारीख निर्धारित की गई है।
3	मोतीलाल नगर प्लॉट सीटीएस सं. 228, गोरेगांव	मुंबई	लगभग 200 वर्ग फुट	1. श्रीमती ललिता अंबारे कांबले द्वारा मोतीलाल नगर स्थित भूखंड पर अतिक्रमण के बारे में वर्ष 2014 में पता चला। तत्पश्चात् बीएमसी और पुलिस विभाग के माध्यम से अतिक्रमण हटाने के लिए बार-बार प्रयास किए गए और एफआईआर दर्ज की गई। वर्ष 2019 में उन्हें, बीएमसी और पुलिस विभाग की सहायता से अतिक्रमण किए गए भू-खंड से हटाया गया।

				2. श्री भैरवनाथ दत्तात्रेय जाधव और अंबारे उन्छप्पा कांबले द्वारा भारत सरकार और अन्य के विरुद्ध बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट, दिंडोशी में एस.सी.सूट संख्या 2023/2019 में दायर मोशन नोटिस संख्या 2881/2019 और एस.सी. सूट संख्या 2023/2019 के समन की प्रति 09.09.2019 को प्राप्त हुई। मामला माननीय सिटी सिविल कोर्ट में लंबित है।
4	सहार पीएंडटी कॉलोनी, अंधेरी ईस्ट	मुंबई	लगभग 5000 वर्ग फुट	सहार पी एंड टी कॉलोनी, डाक विभाग (डीओपी) और बीएसएनएल की संयुक्त संपत्ति है, जिसका क्षेत्रफल 1,16,531.50 वर्ग फुट है। कई साल पहले अवैध रूप से लगभग 20 कमरों का निर्माण किया गया था और लगभग 5,000 वर्ग फुट भूमि का अतिक्रमण किया गया।
5	श्रीपुर	पंढरपुर	726	1. विधि मंत्रालय, मुंबई (पत्र 22/एडवांस/मुम/2021) ने सुझाव दिया कि विभाग प्रथम दृष्टया मुद्दों का आकलन करे और फिर अनधिकृत कब्जा करने वालों को बेदखल करने और हर्जाना वसूलने के लिए मामले को संपदा अधिकारी को भेजकर पीपी अधिनियम, 1971 के तहत कार्यवाहियाँ शुरू की जाए। 2. एसपीओ पंढरपुर ने 04.09.2025 को प्लॉट के मापतौल/सीमांकन के लिए आवेदन किया और 26.09.2025 को शुल्क का भुगतान

				किया। भूमि अभिलेख कार्यालय ने सीमांकन के लिए 19.11.2025 की तारीख निर्धारित की, परंतु "वहिवत" दस्तावेज के अभाव में सर्वेक्षण नहीं किया जा सका। एसपीओ पंढरपुर ने 20.11.2025 को उप-अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मालशिरस को मापतौल/सीमांकन का अनुरोध करते हुए पत्र लिखा है। 'भूमि अभिलेख' से उत्तर प्रतीक्षित है।
6	वागले एस्टेट, ठाणे	ठाणे	1000	अतिक्रमण हटाने के मामलों को बार-बार स्थानीय प्राधिकारियों के समक्ष उठाया गया है जिसमें पुलिस कमीश्नर, नगर निगम प्राधिकरण और जिलाधीश का कार्यालय शामिल है तथा इस पर प्राथमिकता आधार पर कार्रवाई की जा रही है। 27.10.2025 को नया अनुस्मारक जारी किया गया था। उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए संबंधित एएसपी/पीआरआई(पी) को अतिक्रमणकारियों के विवरण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है।
7	वर्तक नगर, ठाणे	ठाणे	1440	
8	अंबरनाथ अभियांत्रिकी क्षेत्र, ठाणे	ठाणे	1005	
9	उल्हासनगर, प्लॉट नं. 3, ठाणे	ठाणे	1912.13	दिनांक 12.07.2021 को कोर्ट केस सं. 64/2006 को खारिज कर दिया गया था और मार्गदर्शन के लिए आरओ को भेजा गया था। विधि मंत्रालय और आरओ के अनुदेशों के अनुसार बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील दायर की गई थी और वर्तमान में यह स्वीकृति-पूर्व चरण में है। उस समय के एसएसपी,

				ठाणे डिवीजन ने आईपी (पीजी) के साथ दिनांक 18.09.2025 को नामित काउंसिल के साथ मुलाक़ात की और मामले पर विस्तार से चर्चा की। सरकारी काउंसिल ने आश्वस्त किया कि उच्च न्यायालय के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। काउंसिल के साथ समन्वय करते हुए मामले की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जा रही है।
10	बेलापुर प्लॉट	ठाणे	3000	सीआईडीसीओ द्वारा पहले 2017 में अतिक्रमणों को हटा दिया गया था। शेष बचे अतिक्रमण को हटाने, प्लॉट का भौतिक कब्जा लेने और लीज एग्रीमेंट को लागू करने के लिए सीआईडीसीओ के साथ मिलकर निरंतर कार्रवाई की जा रही है।
11	देवी चौक प्लॉट	नासिक	लगभग 100 वर्ग मीटर	अतिक्रमण हटाने के लिए मामले को नगर निगम, पुलिस कमीश्नर के संज्ञान में लाया गया है।
12	सी.एस. सं. 12/ए/2/2 मनमाड खाली प्लॉट	नासिक	लगभग 92 वर्ग मीटर	अतिक्रमण हटाने के लिए मुख्य अधिकारी, मनमाड नगर परिषद के साथ 30.01.2025 से पत्राचार किया जा रहा है। समय-समय मुख्य अधिकारी को अ.शा. पत्र भी भेजा जाता है।
13	चारथा प्लॉट	सिंधुदुर्ग	465 वर्ग मीटर	कोर्ट केस प्रक्रियाधीन हैं।
14	जालना आरएस खाली प्लॉट	जालना	16187 वर्ग मीटर कुल भूमि में से 1600 वर्ग मीटर पर	मामला न्यायाधीन है। दो कोर्ट केस लंबित हैं और जिला अधीक्षक, भू-अभिलेख, जालना के पास मामला प्रक्रियाधीन है।

15	पैठण खाली प्लॉट	छत्रपति संभाजीनगर	784.84	पुलिस विभाग और नगर निगम, पैठण के माध्यम से अतिक्रमण को हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
16	तिलक नगर प्लॉट, लातूर (प्लॉट का कुल क्षेत्रफल = 10525 वर्ग मीटर)	लातूर	113256 वर्ग मीटर कुल भूमि में से 2630 वर्ग मीटर	जिला न्यायालय, लातूर में 30.07.2021 को दायर किए गए केस का निर्णय 07.11.2025 को दिया गया और वाद को केस का खर्चा अदा करने के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया गया। अपील दायर करने के संबंध में विधिक राय के लिए डीजीपी लातूर से अनुरोध किया गया है। विधिक राय की प्रतीक्षा की जा रही है।
17	महबूबगंज (खाली प्लॉट)	नांदेड	893.38	महबूबगंज, इतवारा, नांदेड से संबंधित मामले में औरंगाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष पूर्व-स्वीकृति के लिए दूसरी अपील दायर की गई (सीएनआर सं. एचसीबीएम03011352024, स्टांप सं. एसएएसटी/21832/2024)। उच्च न्यायालय द्वारा एक आपत्ति जताई गई है, जिसका एएसजी द्वारा अभी समाधान किया जाना है।
18	हिमायत नगर विभागीय भवन का खुला परिसर	नांदेड	1789.24 वर्ग मीटर कुल भूमि में से 277.04 वर्ग मीटर	हिमायतनगर के खाली प्लॉट पर अतिक्रमण किया गया है। इसे हटाने की प्रक्रिया के दौरान कुछ व्यक्तियों ने सीजेएसडी भोकर न्यायालय में सिविल वाद आरसीएस 238/2022 और आरसीएस 241/2022 दायर किए।
19	उमरी (खाली प्लॉट)	नांदेड	363.07	उमरी में विभाग के खाली प्लॉट पर अतिक्रमण किया गया है। इसे हटाने

				की प्रक्रिया में अनेक अतिक्रमणकारियों द्वारा सीजेएसडी भोकर न्यायालय के समक्ष एमसीए 06/2025 से 08/2025, 10/2025 और 4/2025; आरसीएस 179/2024 से 187/2024, 189/2024 और 190/2024 कई केस दायर किए गए तथा औरंगाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं 3716/2025, 3717/2025 और 3719/2025 दायर की गईं।